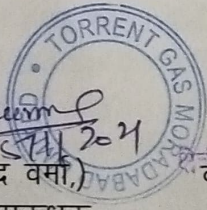


प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि टोरेंट गैस मुरादाबाद लि०, द्वारा मुरादाबाद-फर्रुखाबाद मार्ग (एस०एच-43) के कि०मी० चैनेज 4.420 से 5.820 तक बॉयी पटरी पर गैस पाईप लाइन बिछाये जाने हेतु 0.0841 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग हेतु कार्य प्रस्तावित है। गैर वानिकी कार्य का अनुमति हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या-एफ.नं. 11-268/2014 एफ०सी० दिनांक 11-7-2014 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन सहायक महाप्रबन्धक, टोरेंट गैस मुरादाबाद लि०, मुरादाबाद द्वारा किया गया है।


(सतीश चन्द्र वर्मा,
सहायक महाप्रबन्धक,
टोरेंट गैस मुरादाबाद लि०,
मुरादाबाद।


वन क्षेत्राधिकारी,
मुरादाबाद।


वन क्षेत्राधिकारी,
बिलारी।
राज्य वनाधिकारी,
बिलारी रेंज (मुरादाबाद)


(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।
19/01/2021